

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1455/2013/चित्तौड़गढ़

अपील संख्या 1456/2013/चित्तौड़गढ़

अपील संख्या 1457/2013/चित्तौड़गढ़

सहायक आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बिडला कारपोरेशन लिमिटेड

चन्देरिया, चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एम.एल.पाटोदी

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 23.04.2015

निर्णय

ये तीनों अपीलें सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (अपीलीय अधिकारी), वाणिज्यिक कर, उदयपुर के द्वारा अपील संख्या 100 व 101/वैट/11-12 तथा अपील संख्या 102/सीएसटी/12-13 में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 01.02.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। तीनों अपीलों एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति (जिसे आगे छानबीन समिति कहा जायेगा) की दिनांक 15.12.2003 को बैठक हुई, जिसमें प्रत्यर्थी (यूनिट) को बिकी कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत छानबीन समिति के सचिव द्वारा निर्देश पत्र क्रमांक एफ.5/Acctt/7(2)(437)STE/98 दिनांक 02.01.2004 को कर निर्धारण अधिकारी को जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर मुक्ति का लाभ दे दिया गया था, किन्तु छानबीन समिति के सचिव के निर्देश प्राप्त होने पर नियमित कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर कर मुक्ति का लाभ छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2003 से माना। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी इकाई की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने यह अंकित करते हुए कि "यह लाभ जिस दिनांक को छानबीन समिति की बैठक हुई उसी दिनांक 15.12.2003 से किया गया है। यूनिट द्वारा लाभ की पूर्णतः का प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और ना ही विभाग द्वारा जारी फार्म 'सी' पत्रावली पर उपलब्ध है।" अतः यह जांच किया जाना आवश्यक मानते हुए तीनों

आशा कुमारी

प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को निर्णय दिनांक 04.10.2010 को पारित कर प्रतिप्रेषित कर दिये। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.10.2010 की पालना नहीं की जाकर पूर्व में पारित सकर निर्धारण आदेशों को यथावत रखते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित कर दी :-

अ.सं.	कर.नि.वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
1455 / 13	2004-05	17.10.2011	7,07,530 / -	3,92,990 / -	-
1456 / 13	2005-06	17.10.2011	12,50,017 / -	5,44,758 / -	-
1457 / 13cst	2005-06	17.10.2011	34,778 / -	15,157 / -	-

उक्त आरोपित कर एवं ब्याज से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी इकाई की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलें स्वीकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र की जारी तिथि से ही कर मुक्ति लाभ देय माना है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2013 से असन्तुष्ट होकर ये तीनों अपीलें कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी इकाई इन्सेन्टिव स्कीम का लाभ उसी तारीख से ले सकती है जिस तारीख को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाये। उनका कथन है कि बिक्री प्रोत्साहन योजना, 1998 के बिन्दु संख्या 4(एच) के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सचिव, छानबीन समिति द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से ही कर मुक्ति का लाभ देय है। उनका कथन है कि छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2003 को हुई के आधार पर प्रत्यर्थी (यूनिट) को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत छानबीन समिति के सचिव द्वारा निर्देश पत्र क्रमांक एफ.5 / Acctt/7(2)(437)STE/98 दिनांक 02.01.2004 को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उनका कथन है कि कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पूर्व व्यवसायी कर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.10.2010 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी की उक्त वर्षों से सम्बन्धित प्रस्तुत अपीलों को प्रतिप्रेषित कर, कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश प्रदान किये गये थे कि छानबीन समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र को देख कर उसी के

आशा कुमार

अनुसार प्रत्यर्थी व्यवसायी को कर मुक्ति का लाभ प्रदान करें किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने निर्णय दिनांक 04.10.2010 की पालना नहीं की जाकर पूर्व में पारित कर निर्धारण आदेश को यथावत रखते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2003 से ही कर मुक्ति मानी है, जबकि प्रत्यर्थी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी इसलिए वह कर मुक्ति का लाभ कैसे ले सकता था। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण आदेश को उचित नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2013 पारित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्षों की बहससुनी गयी, प्रस्तुत रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 01.02.2013 का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात होता है कि छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15.1.2.2003 का हुई, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी यूनिट को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत छानबीन समिति के सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर एफ.5/Acctt/7(2)(437)STE/98 दिनांक 02.01.2004 को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। रिकार्ड पर उपलब्ध अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.10.2010 में अंकित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमित कर निर्धारण आदेश में कर मुक्ति का लाभ दे दिया था, उसको संशोधित आदेश द्वारा दिनांक 15.1.2.2003 से माना है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था, किन्तु प्रतिप्रेषण आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर पुनः उसकी ही पुनरावृत्ति कर मांग सृजित की गई है, जिसको अपास्त करते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से निष्कर्ष दिया गया है:-


“अतः राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Screening Committee) की बैठक दिनांक 15.1.2.2003 को हुई के आधार पर यूनिट को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय छानबीन समिति के सचिव द्वारा दिये गये निर्देश पत्र क्रमांक एफ.5/Acctt/7(2)(437)STE/98 दिनांक 02.01.2004 को कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। व्यवसायी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पूर्व कर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। जब उसे सूचित ही नहीं किया गया है, तो वह कर मुक्ति कैसे ले सकता है। साथ ही बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 स्कीम 4(एच) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र की जाकरी तिथी से ही कर मुक्ति लाभ देय है।”

आशा कुमारी

अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष में यह पीठ हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं समझती है, क्योंकि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 स्कीम 4(एच) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उक्त निष्कर्ष दिया है। फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(आशा कुमारी)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य